रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894

No. 208] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 17th August 1972

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Mizoram and Arunachal Pradesh) (Adaptation of Laws on State and Concurrent Subjects) Order, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. In its application to the Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh, the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), shall until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications specified in the Schedule to this Order.

THE SCHEDULE

In the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939),—

(1) after section 29B, the following section shall be inserted, namely:—

'29C. *Transitional provision regarding assignment of fresh registration mark on account of the reorganisation of Assam.*—Where a motor vehicle registered in the State of Assam before the 21st January, 1972, has been assigned a registration mark, which, by reason of the reorganisation of that State under the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), has ceased on that day to be in accordance with the Sixth Schedule, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 29, the owner of the vehicle shall, within a period of twelve months from that day, apply to the registering authority within whose jurisdiction the vehicle then is, for the assignment of a new registration mark and shall present the certificate of registration to that registering authority: and thereupon, the other provisions of section 29 shall apply to the vehicle as they apply to a motor vehicle on removal from one State to another State.";

(2) in the Sixth Schedule, after the entry relating to "Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands", the following entries shall be inserted, namely:—

"Mizoram	ZR
Arunachal Pradesh	AR"

[No. F.19(1)/72-LI.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 17 अगस्त, 1972

सा०का०नि० 375(अ).—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (मीजोराम तथा अरुणाचल प्रदेश) (राज्य और समवर्ती विषयों पर विधियों का अनुकूलीकरण) आदेश, 1972 होगा।

(2) यह 1972 की जनवरी के 21 वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. मीजोराम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्रों को उसके लागू होने में मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) जब तक किसी सक्षम विधान मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न किया गया हो, तब तक इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुकूलीकरणों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा।

अनुसूची

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) में,—

(1) धारा 29ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जायगी, अर्थात्:—

"29ग. **असम के पुनर्गठन के कारण नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध**.—जहां असम राज्य में 21 जनवरी, 1972 के पूर्व रजिस्टर किए गए किसी मोटर यान को रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिया गया है, जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) के अधीन उस राज्य के पुनर्गठन के कारण उस दिन से छठी अनुसूची के अनुसार होना खत्म हो गया है, वहां धारा 29 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यान का स्वामी, उस दिन से 12 मास की अवधि के भीतर, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह यान अब है, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न देने के लिए आवेदन करेगा और उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा; और तदुपरि धारा 29 के अन्य उपबन्ध, उस यान को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे एक राज्य से दूसरे राज्य को किसी मोटर यान के स्थानान्तरण पर लागू होते हैं।"

(2) छठी अनुसूची में "लकादीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह" से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
मीजोराम ......जैड आर
अरुणाचल प्रदेश ......ड आर"।

[सं० फा० 19(1)/72-वि०]

के० के० सुन्दरम,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972